न्यायालय : अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैतारण, जिला ब्यावर, राज.

पीठासीन अधिकारी	:	ज्योति पटेल, आर.जे.एस.
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	:	447/2015,
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	345/2015 पुलिस थाना जैतारण

राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी

..... **अभियोगी**

बनाम

01. श्रवण उर्फ सुदर्शन कुमार पुत्र मदनलाल, निवासी देवली कलां, पुलिस थाना जैतारण, जिला ब्यावर

..... **अभियुक्त**

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 324 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थिति :–
01. अभियोजन अधिकारी, वास्ते–राज्य।
02. श्री बचनाराम पन्नू, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त।

क्र.सं.	स्तर	दिनांक
01.	प्रसंज्ञान	20.11.2015
02.	आरोप	10.03.2016
03.	साक्ष्य अभियोजन समाप्त	09.04.2026
04.	बहस अंतिम सुनी	29.04.2026
05.	निर्णय	29.04.2026

निर्णय **दिनांक : 29.04.2026**

01. इस प्रकरण का उद्भव थानाधिकारी, पुलिस थाना जैतारण, जिला ब्यावर की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त श्रवण उर्फ सुदर्शन कुमार के विरुद्ध आरोप–पत्र अन्तर्गत धारा 341, 323, 324 भारतीय दण्ड संहिता का न्यायालय में पेश करने पर हुआ।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.08.2015 को प्रार्थीया विमला देवी पत्नी सुरेश, निवासी सींगला रोड़ देवली कलां पुलिस थाना जैतारण, जिला ब्यावर ने इस्तगासा विरुद्ध अभियुक्त श्रवण कुमार उर्फ सुदर्शन कुमार का इस आशय का पेश किया कि दिनांक 31.07.2015 का सायं 04 बजे वह अपनी दो जेठानियों के साथ खेत में से चारा लाने के लिए घर से निकलकर सड़क–सड़क पर

जा रही थी तभी अभियुक्त श्रवण पीछे से आकर उनका रास्ता रोककर उसे गाली गलौच करने लगा व अपशब्द बोलने लगा। अभियुक्त शराब पीया हुआ था। उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया तथा हाथ पर दांत से काट लिया जब वह उठने लगी तो लातों मुक्कों से उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया जिससे उसके लिलाट पर चोटें आने से खून निकल आया। खून से उसके कपड़े भर गये फिर उसे जोरदार धक्का देने पर गिरने से हाथ, कोहनी, हाथ व पैरों पर चोटें आई तब जेठानियों ने बीचबचाव किया तो उसके कपड़े खींचकर फाड़ दिया तथा उसकी जेठानियों के साथ भी मारपीट करने व गाली गलौच करने लगा तब वह चिल्लाई तब रमेश, आदूराम तथा रमेश मेघवाल दौड़कर आये तथा श्रवण से उन्हें छुड़वाया। वह विकलांग होने से श्रवण सिंह का सामना नहीं कर सकी। अभियुक्त काफी दिनों से उसे गलत नजर से देखता आ रहा है.....इत्यादि, जिस पर न्यायालय द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना जैतारण को उक्त इस्तगासा प्रेषित किया गया, जिस पुलिस थाना जैतारण द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 345/2015 में दर्ज कर बाद संपूर्ण अनुसंधान मुलजिम श्रवण कुमार उर्फ सुदर्शन कुमार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 324 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03 बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्त श्रवण कुमार उर्फ सुदर्शन कुमार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 324 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप का प्रसंज्ञान लिया गया और बाद बहस आरोप अभियुक्त श्रवण कुमार उर्फ सुदर्शन कुमार को अन्तर्गत धारा 341, 323, 324 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने सुन व समझ कर आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. दौराने साक्ष्य अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 विमला देवी, पी.डब्ल्यू. 02 रेखादेवी पत्नी गणपत, पी.डब्ल्यू. 03 रेखादेवी पत्नी नेमाराम, पी.डब्ल्यू. 04 महेन्द्र कुमार, पी.डब्ल्यू. 05 सुरेश कुमार, पी.डब्ल्यू. 06 गणपतलाल, पी. डब्ल्यू. 07 सोहनी देवी, पी.डब्ल्यू. 08 मोतीलाल, पी.डब्ल्यू. 09 कैलाश, पी.डब्ल्यू. 10 आदुराम, पी.डब्ल्यू. 11 रामकुंवार, पी.डब्ल्यू. 12 रमेश कुमावत को पेश कर परीक्षित कराया।

05. अभियोजन पक्ष द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 01 इस्तगासा, प्रदर्श पी 02 नक्शा मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी. 03 बयान अंतर्गत धारा 164 सीआरपीसी विमला, प्रदर्श पी. 04 आरोप पत्र, प्रदर्श पी. 05 प्रथम सूचना रिपोर्ट को पेश कर प्रदर्शित करवाया।

06. अभियुक्त के कथन अन्तर्गत **धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता** के तहत लेखबद्ध किए गए तथा **साक्ष्य प्रतिरक्षा में** अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा डी.डब्ल्यू. 01 भिरमराम व डी.डब्ल्यू. 02 महेन्द्रकुमार को परीक्षित करवाया गया।

07. बहस अन्तिम सुनी गई। **दौराने बहस अभियोजन अधिकारी** ने पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध साबित होना बताते हुए अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 341, 323, 324 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों में दोषसिद्ध घोषित करने का निवेदन किया।

08. दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी के तर्कों का विरोध करते हुए **विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि** अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य में गंभीर प्रकृति का विरोधाभास है। अनुसंधान अधिकारी ने घटना की ताईद नही की है। अभियोजन पक्ष की समस्त साक्ष्य से आरोपित अपराध की लेशमात्र भी ताईद नहीं होती है। अभियुक्त ने अपनी साक्ष्य से बचाव को साबित किया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित करने का निवेदन किया।

09. हस्तगत प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :–

01. ''क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.07.2015 को सायं काल करीब 04.00 बजे जब परिवादिया अपनी दो जेठानियों के साथ खेत में से चारा लेने के लिए घर से निकल सड़क पर जा रही थी तब सींगला रोड़, देवलीकलां तहसील जैतारण में अभियुक्त ने परिवादिया का रास्ता रोककर परिवादिया के साथ लात घूसों कुंदालय से व परिवादिया के हाथ में अपने दांतों से काटकर उसके साथ मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 341, 324 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया?

02. यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड का दायी होगा?

10. उपर्युक्त विचारणीय प्रश्न के सम्बन्ध मे पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन करे तो **अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 परिवादिया विमला देवी** ने मुख्य परीक्षा में 13 माह पहले स्वयं की जेठानियों सहित चारा लेने जाना, अभियुक्त का शराब पिया हुआ होना, अभियुक्त द्वारा पीछे से आकर हाथ पकड़ जबरदस्ती करना, नीचे गिर जाना जिससे सिर व दोनों हाथों पर चोट लगना, अभियुक्त द्वारा काट लेना, दोनों देवरानियों द्वारा छुड़ाने पर उनके साथ भी

छीना झपटी करना, दो देवरानियों के हाथों पर भी चोटें आना, छुड़ाने पर आदूराम, मोतीराम का बचाने आना इत्यादि बताकर प्रदर्श पी. 01 लगायत प्रदर्श पी. 03 अंकित करवाया। उक्त क्रम में परिवाद व प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखें तो उसमें परिवादिया ने स्वयं के साथ लात मुक्कों से मारपीट करने पर ललाट पर चोट आना व उससे खून निकलना, कपड़ें खून से भर जाना, कपड़ें खींचकर फाड़ देना, रमेश मेघवाल, आदूराम द्वारा बीचबचाव करवाना, छुड़वाना अंकित किया। **जिरह में** पी.डब्ल्यू. 01 ने घटनास्थल गांव से काफी दूर नहीं होना, सींगला रोड़ पर होना, घटनास्थल पर एक तरफ मेहन्दी का जाव, दूसरी तरफ खुला होना, घटनास्थल के दोनों ओर अंग्रेजी बबूल के पेड़ होना, मारपीट रास्ते पर होना, स्वयं रोड़ पर चल रही होना, मुलजिम द्वारा घसीटकर ले जाना, अंग्रजी बबूल से खरोंचे आना, नीचे गिरने से सिर पर चोट लगना, आदूराम, मोतीराम, रमेश मेघवाल का छुड़ाने आना और कोई छुड़ाने नहीं आना इत्यादि बताया। इस प्रकार परिवादिया पी.डब्ल्यू. 01 के कथनों से घ ाटनास्थल संदेह से परे साबित नहीं है क्योंकि नक्शा मौका प्रदर्श पी. 02 में न तो मेहंदी के पेड़ है न ही अंग्रजी बबूल के पेड़ हैं व घटनास्थल सड़क पर न होकर पड़त पड़ी भूमि है। अब अगर चोट की बात करें तो परिवादिया पी.डब्ल्यू. 01 ने हाथ, ललाट, कोहनी व पैर पर चोट आना एफआईआर में अंकित किया है व मुख्य परीक्षा में सिर व दोनों हाथों पर चोट लगना बताया व जिरह में अंग्रजी बबूल से खरोंचे आना व गिरने से सिर पर चोट आना बताया व चोट प्रतिवेदन में पांच चोट आना अंकित किया है। जिनमें से दो चोट धारदार हथियार से आना अंकित है जबकि परिवादिया धारदार हथियार से चोट आने बाबत कोई कथन नहीं करती। ऐसे में पी.डब्ल्यू. 01 के कथन विरोधाभासी होने से अभियोजन कथानक पर संशय उत्पन्न होता है।

एफआईआर व पी.डब्ल्यू. 01 की साक्ष्य के क्रम में ही पी.डब्ल्यू. 01 द्वारा अपने साथ जाना बता रही जेठानियों में से **पी.डब्ल्यू. 02 रेखा** के कथनों की बात करें तो उसने मुख्य परीक्षा में 12–13 महीने पहले चारा ले जा रहे थे तब श्रवण का शराब पिया हुआ होना जिसके द्वारा रास्ता रोककर विमला का हाथ पकड़ लेना व उसे नीचे पटक कर हाथ दांतों से काट लेना, विमला के सिर व हाथ–पैर पर चोट आना, स्वयं रेखा व रमेश द्वारा छुड़ाना बताया। ऐसे में जहां पी.डब्ल्यू. 01 दोनों जेठानियों की भी चोट आना बताती है वहीं पी.डब्ल्यू. 02 ऐसा कोई कथन नहीं करती। छुड़ाने वाले व्यक्तियों बाबत भी पी.डब्ल्यू. 02 ने अलग कथन किए हैं। विमला की लज्जा भंग बाबत भी पी.डब्ल्यू. 02 कोई कथन नहीं करती न ही सिर पर चोट आने से खून आना व कपड़े खून में हो जाने बाबत कथन करती है जो कि पी.डब्ल्यू. 01 व पी.डब्ल्यू. 02 के कथनों को विरोधाभासी बनाते हैं। अब अगर जिरह की बात करें तो **जिरह मे** पी.

डब्ल्यू. 02 ने चारा हाथों से काटकर लाना, घटना रोड़ के बीचोंबीच होना, श्रवण किस तरफ से आया पता नहीं आना इत्यादि बताया जिन कथनों से घटनास्थल भी संदहपूर्ण हो जाता है।

इसी क्रम में पी.डब्ल्यू. 01 के अन्य जेठानी/देवरानी पी.डब्ल्यू. 03 रेखा के कथन भी महत्वपूर्ण हैं जिसने मुख्य परीक्षा में 12–13 माह पहले की बात होना, श्रवण शराब पिया होना, दोनों देवरानी जेठानी को श्रवण द्वारा गाली बोलना, विमला के हाथ पर दांतों से काट खाना, फिर चिल्लाने पर सुरेश, रमेश, मोतीलाल व आदूराम बचाव के लिए आना बताया। जबकि पी.डब्ल्यू. 01 स्वयं के चार–पांच चोटें आना कहती है व पी.डब्ल्यू. 03 एक चोट काटने से आना कहती है। सुरेश द्वारा बीचबचाव करने बाबत पी.डब्ल्यू. 01 व पी.डब्ल्यू. 02 कोई कथन नहीं करती। पी.डब्ल्यू. 01 परिवादिया अपने जेठानियों जो कि पी.डब्ल्यू. 02 व पी.डब्ल्यू. 03 के साथ भी मारपीट करना व चोट आना कहती है जबकि पी.डब्ल्यू. 02 व पी.डब्ल्यू. 03 ऐसा कोई कथन नहीं करती। पी. डब्ल्यू. 03 ने घटनास्थल बाबत कोई कथन नहीं किए न ही चोट से खून आने बाबत कोई कथन किए, न ही धारदार हथियार या साधन बाबत भी कोई कथनं किए जिससे कि अभियोजन कथानक संशयपूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार जिरह में पी.डब्ल्यू. 03 ने घटना की तारीख, वार, तिथि याद नहीं होना, साथ ही महत्वपूर्ण रूप से यह कथन किए कि ''मैंने घटना नहीं देखी थी मैं मौके पर नहीं गई थी, विमला के अंग्रजी बबूल की टहनियों से लगी हो तो मुझे पता नहीं।'' इस प्रकार पी.डब्ल्यू. 03 के जिरह के उपुर्यक्त कथनों से पी.डब्ल्यू. 01 व पी.डब्ल्यू. 02 के कथनों के क्रम में संपूर्ण अभियोजन कथानक ही संशयपूर्ण हो जाता है।

अभियोजन साक्षी **पी.डब्ल्यू. 04 महेन्द्र कुमार** ने साक्ष्य में अभियोजन कथानक के अनुसार घटना कारित करने बाबत कोई कथन नहीं किए। **अभियोजन साक्षी पी. डब्ल्यू. 05 सुरेश कुमार** परिवादिया का पति है जिसने मुख्य परीक्षा में परिवाद के तथ्यों की ताईद की है लेकिन जिरह में स्वयं मौके पर नहीं होना व मुलजिम के जाने के बाद मौके पर पहुंचना स्वीकार किया जिससे कि पी.डब्ल्यू. 05 के कथनों की विश्वसनीयता ध्वस्त हो जाती है।

करता है।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 06 गणपतलाल नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी. 02 का साक्षी है जिसने मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा विमला के साथ मारपीट का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 02 पुलिस द्वारा बनाना बताया लेकिन **जिरह में** कार्यवाही की दिनांक पता नहीं होना, नक्शा मौका में नहीं समझना, प्रदर्श पी. 02 पढ़कर नहीं

सुनाना, हस्ताक्षर कुशालपुरा चौकी में व घर पर करवाना, नक्शा मौका किस बात का था नहीं देखना बताकर प्रदर्श पी. 02 व पुलिस कार्यवाही पर संशय उत्पन्न किया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 07 सोहनी देवी, पी.डब्ल्यू. 08 मोतीलाल, पी.डब्ल्यू. 09 कैलाश, पी.डब्ल्यू. 10 आदूराम ने मुख्य परीक्षा में ही अभियोजन कथानक की ताईद नहीं की व घटना बाबत कोई कथन नहीं किए जिससे अभियोजन कथानक पर संशय उत्पन्न होता है।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 11 अनुसंधान अधिकारी है जिसने मुख्य परीक्षा में स्वयं द्वारा किए गए अनुसंधान व उक्त क्रम में लेखबद्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य की ताईद की व जिरह में पी.डब्ल्यू. 11 ने घटना सिंगला रोड़ पर गोचर भूमि में होना बताया व ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान जेसीबी चालक श्रवण होना, जिसके द्वारा अतिक्रमण हटाने की बात से नाराज होकर हस्तगत प्रकरण दर्ज करवाना। विमला देवी द्वारा गाली गलौच की बात झूठी कहना, अनुसंधान के दौरान गाली गलौच व लज्जा भंग की बात सामने नहीं आना केवल बोलचाल होना पाया जाना बताया। इस प्रकार पी.डब्ल्यू. 11 अनुसंधान अधिकारी द्वारा जिरह में किए गए उक्त कथन अनुसंधान से विपरीत है व एफआईआर, परिवाद के कथानक व पुलिस कार्यवाही पर संशय उत्पन्न करते हैं।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 12 रमेश चिकित्सक है जिससे परिवादिया का चोट प्रतिवेदन तैयार करना जो पत्रावली में संलग्न होना, विमला के शरीर पर चार–पांच चोटें पाई जाना, सभी साधारण प्रकृति की होना बताया, जिन कथनों के क्रम में पी. डब्ल्यू. 12 ने ऐसा कोई चोट प्रतिवेदन प्रदर्श मार्क नहीं करवाया। अब अगर चोट प्रतिवेदन को देखें तो उसके पांच चोटें आना अंकित है व प्रथम व द्वितीय चोट धारदार हथियार से आना अंकित है जिस बाबत भी पी.डब्ल्यू. 12 विश्वासपूर्वक कोई कथन नहीं कर सका न ही धारदार हथियार से कोई चोट आना कहता है। ऐसे में पी.डब्ल्यू. 12 के कथनों से चोट प्रतिवेदन व चोट की ताईद नहीं होती व अभियोजन कथानक पर संशय उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा अपने बचाव साक्ष्य में परीक्षित साक्षीगण की अखण्डनीय साक्ष्य से अभियुक्त पक्ष के बचाव के आधारों को बल मिलता है।

इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन पक्ष की समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त पर आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं होने से अभियुक्त श्रवण उर्फ सुदर्शन कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 324 के तहत दंडनीय अपराध के आरोपों से

दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

11. अतः अभियुक्त **श्रवण उर्फ सुदर्शन कुमार पुत्र मदनलाल, निवासी देवली कलां, पुलिस थाना जैतारण, जिला ब्यावर** राज. को अन्तर्गत धारा 341, 323, 324 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपित अपराध में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त घोषित** किया जाता है। अभियुक्त की पूर्व नियमित उपस्थिति बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वे धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 20,000–20,000/–रुपये की जमानतें व इसी कदर राशि के मुचलके इस आशय का पेश करें कि वे इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय में उपस्थित हो जाएंगे।

(ज्योति पटेल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैतारण, जिला ब्यावर

12. निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ज्योति पटेल)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जैतारण, जिला ब्यावर